दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

समक्ष

माननीय न्यायाधीश श्री पुरुषेंद्र कुमार कौरव

रि.या. (सि.) 6350/2012 और सि.वि.आ. 14412/2018

मध्य :-

अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान,

महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950
और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम,
1860 के प्रावधानों के अधीन पंजीकृत
एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास, जिसका
कार्यालय पी-14, राजीव गांधी इन्फोटेक
पार्क, हिंजावाड़ी, पुणे - 411057, महाराष्ट्र
राज्य में स्थित है। .....याचिकाकर्ता संख्या 1

आई2आईटी प्राइवेट लिमिटेड

कम्पनी जो अधिनियम, 1956 के प्रावधानों
के अधीन निगमित है तथा जिसका पंजीकृत
कार्यालय, पी-14/1, राजीव गांधी सूचना पार्क,
हिंजवाड़ी,पुणे-411057,महाराष्ट्र राज्य में स्थित है .....याचिकाकर्ता संख्या 2

(द्वारा - श्रीमती नीलिमा त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री नितिन एस. तंबवेकर और श्री बी. एस. साई, अधिवक्ता)

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985
के प्रावधानों के अधीन एक सांविधिक निकाय जिसका
हेडक्वार्टर्स, मैदान गढ़ी, नई दिल्ली-110068 में अवस्थित है ..... प्रत्यर्थी

(द्वारा - श्री अली मिर्जा, अधिवक्ता)

% उदघोषित: 24.01.2024

<u>निर्णय</u>

1. तत्काल रिट याचिका के माध्यम से याचिकाकर्तागण प्रत्यर्थी -इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (एतद पश्चात 'इग्नू' से संदर्भित) द्वारा जारी दिनांक 06.09.2012 के पत्र को चुनौती देते हैं, जिसके द्वारा इग्नू ने याचिकाकर्तागण को सूचित किया कि 2009 सत्र के विद्यार्थी याचिकाकर्ता संख्या 1 और इग्नू के बीच की गई दिनांक 08.06.2010 की 'सहभागिता' की परिधि से बाहर हैं। इसलिए, याचिकाकर्तागण ने इग्नू को 2009 सत्र में दाखिल किये गए 286 छात्रों का एक समेकित अंक-पत्र जारी करने और इसके परिणामस्वरूप उन छात्रों को डिग्री प्रमाण पत्र जारी करने के निर्देश देने सहित विभिन्न निर्देश जारी करने की मांग की है, जिन्होंने सफलतापूर्वक अपना पाठ्यक्रम पूरा किया था और अपनी परीक्षा उत्तीर्ण की थी।

<u>संक्षिप्त पृष्ठभूमि</u>

2. मामले के तथ्यों से यह दिखता है कि याचिकाकर्ता सं.1 एक शैक्षणिक संस्थान है जो महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 और सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 के प्रावधानों के अधीन एक सार्वजनिक धर्मार्थ न्यास के रूप में पंजीकृत है। याचिकाकर्ता सं.2 कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के अधीन निगमित एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। प्रत्यर्थी एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1985 (एतद पश्चात 'अधिनियम' से संदर्भित) के प्रावधान के अधीन की गई है।

3. याचिकाकर्ता सं.1 यह दावा करता है कि इसका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ-साथ शिक्षण, अनुसंधान और परियोजना वित्त पोषण के क्षेत्रों में वृत्तिक समाजों/संगठनों के साथ सदस्यता और संघों के साथ बड़ी संख्या में सहभागिता है।

4. 08.06.2010 को याचिकाकर्ता सं. 1 और इग्नू के बीच उच्च शिक्षा और अनुसंधान के लिए एक संयुक्त उत्कृष्टता केंद्र (एतद पश्चात 'जे.सी.ई' से संदर्भित) स्थापित करने के लिए सहयोग ज्ञापन (एतद पश्चात 'एम.ओ.सी' से संदर्भित) निष्पादित किया गया था। जे.सी.ई का उद्देश्य प्रत्यर्थी के पूर्णकालिक मुखाभिमुखी शिक्षण वाली स्नातकोत्तर डिग्री कार्यक्रम को याचिकाकर्ता सं. 1 के अत्याधुनिक शैक्षणिक और प्रशासनिक बुनियादी ढांचे और संसाधनों का उपयोग करके याचिकाकर्ता- आईआईआईटी के मौजूदा स्नातकोत्तर सर्टिफिकेट प्रोग्राम को

इग्नू के आई.आई.आई.टी पुणे में स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम में परिवर्तित करना था।

5. जे.सी.सी. के समग्र कामकाज की देखरेख और मार्गदर्शन के लिए एक संयुक्त समन्वय समिति (जे.सी.सी.) का गठन किया गया और जे.सी.सी. की शक्ति, जे.सी.सी.की संरचना और शैक्षिक शुल्क आदि से संबंधित अन्य विभिन्न नियमों और शर्तों पर सहमति व्यक्त की गई। जे.सी.सी. की पहली बैठक एम.ओ.सी. के निष्पादन की तारीख को ही हुई, अर्थात 08.06.2010 और 2010-2012 के लिए कार्यक्रम में प्रवेश लेने वाले 115 छात्रों के प्रवेश के संबंध में विभिन्न निर्णय लिए गए।

6. दिनांक 24-06-2010 को जे.सी.सी. की दूसरी बैठक आयोजित की गई थी और अन्य बातों के साथ-साथ आई.आई.आई.टी. के उन मौजूदा विद्यार्थीगण, जिन्होंने पहले ही दो सत्र पूरे कर लिए थे के लिए एक सुझाव भी दर्ज़ किया गया था जिसके अनुसार इग्नू की डिग्री पर विचारण के लिए आई.आई.आई.टी. द्वारा एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ठीक 28.06.2010 पर आई.आई.आई.टी. के 2008 बैच (2010 में समाप्त) और 2009 बैच (2011 में समाप्त) के छात्रों के उन्नत स्नातकोत्तर क्रेडिट के हस्तांतरण के संबंध में इग्नू को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था।

7. दिनांक 27-07-2010 को इग्नू के तत्कालीन कुलपति ने प्रवेश उप-समिति के गठन का अनुमोदन किया था। दिनांक 01-08-2010 को पहली

दाखिला उप-समिति ने अपनी बैठक बुलाई और यह सिफारिश की गई कि चूंकि 2008 बैच के छात्र पहले ही वर्ष 2010 में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर चुके थे, इसलिए इसे एम.ओ.सी. के सीमा के भीतर नहीं लाया जा सकता है। तथापि, मानदंडों में ढील देकर 2009 बैच के प्रवास का सुझाव दिया गया था। उक्त निर्णय इसलिए लिया गया था क्योंकि 2009 बैच को क्रेडिट अंतर को पूरा करने के लिए अनुमोदित 2010 पाठ्यक्रम के अनुसार अतिरिक्त पाठ्यक्रम लेना था।

8. उप-समिति ने 2009 बैच के लिए इग्नू को एकमुश्त प्रवास शुल्क का भुगतान करने का भी सुझाव दिया। यह सहमति बनी कि 2009 बैच के हर एक योग्य छात्र को इग्नू में प्रवास और प्रवेश के लिए या तो 3,000/- रुपये दिए जायेंगे या 2009 बैच के लगभग 289 छात्रों के लिए एक-बारगी शुल्क के रूप में 9 लाख रुपये की एकमुश्त राशि का भुगतान, जो भी अधिक हो, किया जाएगा।

9. 03.08.2010 पर जे.सी.सी.की तीसरी बैठक आयोजित की गई। अन्य बातों के अतिरिक्त, यह निर्णय लिया गया कि 2009 बैच के प्रवासी छात्र, जिन्हें 2010 के दूसरे, तीसरे और चौथे सत्र में विशेष रूप से प्रवेश दिया गया था, के लिए 9 लाख रुपये की एकमुश्त राशि प्रभारित की जाए।

10. सत्र की अवधि के लिए एम.ओ.सी. के समान प्रतिमानों के अनुरूप अकादमिक शुल्क के साझे सूत्र का निर्धारण किया गया था, जिसके लिए अगस्त, 2010 में इग्नू-आई.आई.आई.टी. ने छात्रों को प्रवेश दिया था।

तत्कालीन कुलपति ने दिनांक 13-08-2010 को तीसरी जे.सी.सी. की बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया। तत्कालीन कुलपति ने दिनांक 13-08-2010 को तीसरी संयुक्त संसदीय समिति की बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदित किया। दिनांक 22-09-2010 को याचिकाकर्ता संख्या 1को इग्नू से एक ई-मेल प्राप्त हुआ था जिसमें 2009 बैच के प्रवासी छात्रों सहित छात्रों को जारी किये जाने वाले 1500 नामांकन संख्या एकसाथ आवंटित किये गए थे। दिनांक 06-10-2010 को इग्नू ने पुष्टि की कि इग्नू के छात्र पंजीकरण प्रभाग (एस.आर.डी) ने 2009 बैच सहित 1500 नामांकन संख्याएं आवंटित की थी।

11. 12.11.2010 को याचिकाकर्ता सं.1 ने एम.ओ.सी. के अनुसार 2009 बैच के छात्रों के संबंध में एक बार प्रवास शुल्क और शैक्षणिक शुल्क साझा करने के लिए क्रमशः 9 लाख रुपये और 81,58,569 रुपये कुल राशि के दो प्रारूप अग्रेषित किए, जो कुल मिलाकर 90,58,569/- रुपये थे ।

12. 05.01.2011 को याचिकाकर्ता सं. 1 ने 2009 बैच के प्रवासी मामलों सहित 1500 पंजीकरण संख्या स्टिकर्स की प्राप्ति की पुष्टि की। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद, विभिन्न पत्राचार हुए और 23.05.2011 को याचिकाकर्ता सं. 1 द्वारा इग्नू के साथ 2009, 2010 और जनवरी 2011 के बैचों के प्रवेश के संबंध में इस मामले पर चर्चा की गई।

13. दिनांक 08.06.2010 के ज्ञापन के अधीन नामांकित 2010 और 2011 बैचों के हस्तांतरण के लिए याचिकाकर्ता संख्या 2 और इग्नू के बीच समझौता

ज्ञापन (एतद पश्चात 'एम.ओ.यू' से संदर्भित) निष्पादित किया गया था। दिनांक 17-09-2011 को नए समझौता ज्ञापन के अंतर्गत जे.सी.सी. की पहली बैठक आयोजित की गई थी। इग्नू के तत्कालीन कुलपति ने नए छात्रों को बिना किसी परेशानी के सभी अनुमोदित कार्यक्रमों को नए एम.ओ.यू. में स्थानांतरित करने पर सहमति व्यक्त की।

14. अक्टूबर 2011 में 2009 बैच के छात्रों को तात्कालिक प्रमाणपत्र जारी किए गए थे, जिसके आधार पर उन्होंने अपनी-अपनी नौकरियों में शामिल होने का दावा किया था। ऐसा प्रतीत होता है कि इसके बाद, याचिकाकर्ता सं. 2 और इग्नू के बीच समेकित अंकपत्र और डिग्री जारी करने के लिए विभिन्न पत्राचार हुए, हालांकि, यह बात स्वीकार नहीं की गई। अंत में, दिनांक 06.09.2012 के आक्षेपित संचार में यह कहा गया है कि 2009 में पेश किया गया प्रोग्राम मई 2010 में हस्ताक्षरित एम.ओ.सी. के अधीन नहीं था। उक्त संचार से व्यथित होकर, याचिकाकर्तागण ने राहत के लिए इस न्यायालय से संपर्क किया, जैसा कि पिछले पैराग्राफ में कहा गया है।

<u>प्रस्तुतियाँ</u>

15. श्री नितिन एस. तंबवेकर की सहायता से याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री नीलिमा त्रिपाठी ने कहा कि इग्नू का विवादित निर्णय एम.ओ.सी. के नियमों और शर्तों की परिसीमा से बाहर है और यह न केवल याचिकाकर्तागण के लिए बल्कि 286 निर्दोष छात्रों के लिए भी

भारी पूर्वाग्रह उत्पन्न कर रहा है। इसलिए, वह निवेदन करती हैं कि जब छात्रों ने याचिकाकर्तागण से शिकायत की, तो उन्होंने आवश्यक हस्तक्षेप के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करती हैं कि एम.ओ.सी. 2009 बैच के छात्रों को स्पष्ट रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है और एम.ओ.सी. जे.सी.सी. को अपने दायरे के अधीन शैलियाँ निर्धारित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अधिकार देता है।

16. इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करती हैं कि यदि दिनांक 08.06.2010 की एम.ओ.सी. या दिनांक 14.09.2011 की द्वितीय एम.ओ.यू. के अधीन बैठक के कार्यवृत्त का अध्ययन किया जाए, तो यह इग्नू द्वारा 2009 बैच के छात्रों के प्रवास की स्वीकृति को आवश्यक शुल्क के भुगतान के साथ होना स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता है। उनके अनुसार, इग्नू बाद में यह दावा नहीं कर सकता कि 2009 बैच का प्रवास एम.ओ.सी. के दायरे से बाहर है।

17. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जे.सी.सी. की बैठक के विभिन्न कार्यवृत्तों की ओर इशारा किया है और प्रासंगिक अनुच्छेदों को विस्तार से पढ़ा है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि इग्नू की समझ के अनुसार, यह एम.ओ.सी. में प्रवेश करने के लिए पूरी तरह से सशक्त था और समय-समय पर लिए गए निर्णय के अनुसार, 2009 बैच के छात्रों ने भी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं और परीक्षा में बैठ चुके हैं। इसलिए, वह बताती हैं कि 2009 बैच के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देना एक गंभीर कदम है और एक बार

इग्नू द्वारा इसकी अनुमति दिए जाने के बाद, समेकित अंकपत्र या संबंधित डिग्री को रोकने का कोई कारण नहीं है।

18. इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता निवदन करती हैं कि जे.सी.सी. की क्षमता पर इग्नू को संदेह नहीं है और उक्त संदर्भ में इग्नू को 2009 बैच के संबंध में याचिकाकर्तागण के कहने पर जे.सी.सी. को संबंधित समय पर शुल्क और अन्य औपचारिकता को प्रतिग्रहण करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए थी।

19. इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का तर्क है कि इग्नू का आचरण अत्यधिक गैर-जिम्मेदाराना है और यदि इग्नू को कोई आपत्ति थी, तो निर्दोष छात्रों के साथ किसी भी अन्याय से बचने के लिए निर्णय को तुरंत सूचित किया जाना चाहिए था। वचन विबंध के सिद्धांत का आह्वान करते हुए, वह इस बात पर जोर देती हैं कि जे.सी.सी. द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर काम करने के बाद, इग्नू समेकित अंकपत्र और संबंधित डिग्री जारी करने की अपनी जिम्मेदारी से पलट नहीं सकता है।

20. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों, जैसे कि ***अशोक चंद सिंघवी बनाम जोधपुर विश्वविद्यालय और अन्य, सनातन गौड़ बनाम बेरहामपुर विश्वविद्यालय और अन्य, परमेंद्र कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, श्री कृष्णन बनाम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र, सुरेश पाल और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) बनाम एम. जी. आर. शैक्षिक और अनुसंधान***

संस्थान विश्वविद्यालय और अन्य, विशुनदास हुन्दुमल और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य और यूसए सर्वोच्च न्यायालय के ***कंबरलैंड कोल को*** . ***बनाम बोर्ड ऑफ़ रिवीजन ऑफ़ टैक्स असेसमेंट इन ग्रीन काउंटी, पी ए. (चार मामले) और लोवा देस मोइन्स नेट.बैंक बनाम बेन्नेट और अन्य को आधार बनाया।*** इसके अतिरिक्त उन्होंने ***इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बनाम प्रेसीडेंसी एजुकेशनल ट्रस्ट, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बनाम हिंदुस्तान विमानन अकादमी, मुकुल कुमार शर्मा और अन्य बनाम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और अन्य और हिंदुस्तान विमानन अकादमी बनाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय*** के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों को आधार बनाया है।

21. याचिकाकर्तागण की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता की ओर से दी गई दलीलों का इग्नू की ओर से पेश विद्वान अधिवक्ता श्री अली मिर्जा द्वारा जोरदार विरोध किया गया।

22. जवाबी हलफनामे में दिए गये प्रक्कथनों को आधार बनाते हुए, ***हिंदुस्तान विमानन अकादमी (पूर्वोक्त)*** के मामले में जारी निर्णय को संदर्भित करते हुए, विद्वान अधिवक्ता ने जोर देकर कहा कि अधिनियम के अंतर्गत मुखाभिमुखी शिक्षण हेतु कोई जनादेश जारी नहीं किये गए हैं इसलिए, वह प्रस्तुत करती हैं कि मुखाभिमुखी शिक्षण की अवधारणा अधिनियम के प्रावधानों की सीमा और परिधी के भीतर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि अधिनियम मूल रूप से दूरस्थ शिक्षा

प्रदान करने के लिए बनाया गया है। उनके अनुसार, एम.ओ.सी. में 2009 बैच के छात्रों के प्रवास के लिए कोई प्रावधान नहीं था।

24. वह आगे निवेदन करते हैं कि किसी भी तकनीकी पाठ्यक्रम के संचालन के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एतद पश्चात ए.आई.सी.टी.ई. द्वारा संदर्भित) की मंजूरी अनिवार्य है। उन्होंने ए.आई.सी.टी.ई अधिनियम, 1987 के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख किया है और ***हिंदुस्तान विमानन अकादमी (पूर्वोक्त)*** मामले में निर्धारित सिद्धांतों पर भरोसा किया है। इस न्यायालय को जे.सी.सी. के अधिदेश से अवगत कराते समय विद्वान अधिवक्ता निवेदन करते हैं कि जे.सी.सी.अपनी सीमा को एम.ओ.सी. में परिकल्पित सीमा से आगे नहीं बढ़ा सकता है। उन्होंने एम.ओ.सी. के अधीन जे.सी.सी. के दायरे को विस्तार से पढ़ा है ताकि यह संकेत दिया जा सके कि जे.सी.सी. की परिकल्पना 2010-2011 छात्रों के पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए सहायता और सुझाव/तंत्र प्रदान करने के लिए की गई थी। इसलिए, वह प्रस्तुत करते हैं कि जब याचिकाकर्तागण द्वारा डिग्री प्रदान करने और एक समेकित अंकपत्र जारी करने के लिए बार-बार अनुरोध किया गया था, तो इग्नू ने उपरोक्त शिकायत की सत्यता की जांच करने के लिए एक समिति का गठन किया।

25. इसलिए, वह निवेदन करते हैं कि समिति द्वारा एक विस्तृत जांच की गई थी जिसमें कहा गया है कि एम.ओ.सी. के अधीन छात्रों का पहला प्रवेश जुलाई/अगस्त, 2010 से था। इसलिए, वह यह कहते हुए विवादित निर्णय को

उचित ठहराते हैं कि जे.सी.सी. ने दिनांक 08.06.2010 की एम.ओ.सी. और दिनांक 14.10.2011 के बाद के समझौता ज्ञापन द्वारा प्रदत्त जनादेश से परे काम किया। इसलिए, वह निवेदन करते हैं कि यदि याचिकाकर्तागण और इग्नू द्वारा शुल्क जमा करने, पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी करने आदि जैसे कुछ कदम उठाए जाते हैं, तो यह अधिनियम के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा। उनके अनुसार, चूंकि समझौता ज्ञापन के अधीन 2009 बैच के स्थानांतरण की परिकल्पना नहीं की गई है, इसलिए जे.सी.सी द्वारा याचिकाकर्तागण को शुल्क जमा करने या स्थानांतरित करने की अनुमति देने या इग्नू अधिकारियों को पंजीकरण प्रमाण पत्र आदि जारी करने का कोई सवाल ही नहीं है।

26. विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि याचिकाकर्ता स्वयं सही परिप्रेक्ष्य में तथ्यात्मक स्थिति को समझते हैं और इसलिए, दिनांक 25.05.2011 को जारी पत्र के संदर्भ में यह कहा गया था कि याचिकाकर्ता एम.ओ.सी. को समाप्त करना चाहते थे क्योंकि संबंधित पाठ्यक्रमों के लिए ए.आई.सी.टी.ई. की मंजूरी की आवश्यकता थी।

27. विद्वान अधिवक्ता ने ***उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड बनाम रबी शंकर पात्रो और अन्य, निधि कैम एवं अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य, अभ्युदय संस्था बनाम भारत संघ और अन्य, भारतीदासन विश्वविद्यालय और अन्य बनाम आई.सी.टी.ई. और अन्य*** मामले में माननीय

सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को आधार बनाया है। विद्वान अधिवक्ता भी उसी निर्णय को आधार बनाते हैं जिसे याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आधार बनाया गया है, यानी ***हिंदुस्तान विमानन अकादमी (पूर्वोक्त)*** का मामला। इसके अतिरिक्त, उन्होंने एल.पी.ए 755/2013 में पारित दिनांक 11.10.2013 और 28.11.2013 के दो आदेशों को आधार बनाया, जिसे ***हिंदुस्तान विमानन अकादमी (पूर्वोक्त)*** मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध इग्नू द्वारा दायर किया गया था। इसी मामले में दिनांक 21.05.2015 के एक अन्य आदेश का भी उल्लेख किया गया है ताकि यह दर्शाया जा सके कि एल.पी.ए को निरर्थक मानते हुए खारिज कर दिया गया था जब सी.बी.आई जांच के तथ्य को इस न्यायालय की खंडपीठ ने टिप्पणी किया था। वह आगे ***आई.सी.आर.आई. रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ और अन्य*** मामले में इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को आधार बनाते हैं।

28. प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इग्नू के कुलपति के दिनांक 11.11.2010 के पत्र को आधार बनाते हुए प्रस्तुत करते हैं कि स्नातकोत्तर स्तर पर संदर्भित पाठ्यक्रम सम्बन्धी कार्यक्रम इग्नू द्वारा पुणे में उन्नत शिक्षा और अनुसंधान के लिए इग्नू-आई.आई.आई.टी. जे.सी.ई. के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। उन सभी पाठ्यक्रमों को इग्नू के सक्षम निकाय अर्थात् अकादमिक परिषद और प्रबंधन बोर्ड द्वारा उचित प्रक्रिया के

माध्यम से अनुमोदित किया जाता है। पत्र में आगे कहा गया है कि इग्नू के पाठ्यक्रम पूर्णकालिन आवासीय प्रकृति के हैं और इग्नू के नियमित अंतर्परिसरीय कार्यक्रम प्रौद्योगिकी-सक्षम शिक्षण और याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए उन्नत बुनियादी ढांचे के माध्यम से प्रदान किए जाते हैं और इसलिए, उन पाठ्यक्रमों को ए.आई.सी.टी.ई से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। उनके अनुसार, कुलपति ने कहा था कि यदि ए.आई.सी.टी.ई ने यदि ऐसा ही करने को कहा तो, इग्नू द्वारा ए.आई.सी.टी.ई से उचित संचार किया जाएगा।

29. इसलिए, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि उपरोक्त संचार और पूरे पत्राचार के माध्यम से इग्नू के संचालन पर विश्वास करते हुए, याचिकाकर्तागण ने ईमानदारी से एम.ओ.सी. में प्रवेश किया है। इसलिए,वह प्रस्तुत करती हैं कि जब जे.सी.सी. ने 2009 बैच के छात्रों को भी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया, तो आवश्यक प्रस्ताव उप-समिति को प्रस्तुत किया गया और उक्त प्रस्ताव की मंजूरी पर, आगे के कदम उठाए गए। इसलिए, वह प्रस्तुत करती है कि इग्नू मनमाने ढंग से और अवैध रूप से काम कर रहा है और विभिन्न बैचों के लिए अलग-अलग मापदंड लागू कर रहा है।

30. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता अनुसार, इग्नू ने स्वयं ए.आई.सी.टी.ई. की मंजूरी या अन्यथा कोई शिकायत किए बिना 2010-2011 बैच को डिग्री प्रदान की है और इसलिए, 2009 बैच के छात्रों के लिए वे एक अलग मापदंड लागू

नहीं कर सकते हैं। इसलिए, वह प्रस्तुत करती हैं कि एक बार के उपाय के रूप में, इग्नू को उनके पाठ्यक्रमों के संबंध में एक समेकित अंकपत्र और डिग्री जारी करने का निर्देश दिया जाए।

31. मैंने पक्षों की ओर से की गई दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

<u>विश्लेषण</u>

32. यह मुख्य रूप से ***हिंदुस्तान विमानन अकादमी (पूर्वोक्त)*** में इस न्यायालय की एक समन्वय पीठ के निर्णय को संदर्भित करने के लिए प्रासंगिक है, जहां संस्थानों/विश्वविद्यालयों को मान्यता देने के लिए इग्नू के अधिकार का पता लगाने के लिए अधिनियम की जांच की गई थी। उक्त निर्णय के पैराग्राफ सं. 22 में न्यायालय ने कहा है कि इग्नू के पास नियमित विश्वविद्यालयों की तरह संस्थानों/विश्वविद्यालयों को स्थापित करने या मान्यता देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है, जहां शिक्षा मुखाभिमुखी प्रणाली के माध्यम से प्रदान की जाती है, जिसमें छात्रों को अनिवार्य रूप से कक्षा में भाग लेने की आवश्यकता होती है। उपरोक्त निर्णय इस बात को रेखांकित करता है कि किसी भी संस्थान को इग्नू के अध्ययन केंद्र का दर्जा प्राप्त करने के लिए अधिनियम की धारा 2 (ण) के अर्थ के अधीन रहने की आवश्यकता है। यह स्पष्ट रूप से माना गया है कि कोई भी संस्थान/विश्वविद्यालय या केंद्र जहां मुखाभिमुखी

कार्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, अधिनियम के अर्थ के भीतर एक अध्ययन केंद्र के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है।

33. हिन्दुस्तान एविएशन अकादमी (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय का अनुच्छेद सं.22 निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> *"22. हालाँकि, प्रत्यर्थी-इग्नू के पास ऐसे नियमित विश्वविद्यालयों की तर्ज पर संस्थानों/विश्वविद्यालयों को स्थापित आदेश या मान्यता देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जहां शिक्षा मुखाभिमुखी कार्यक्रमों द्वारा प्रदान की जाती है, जिसमें छात्रों को अनिवार्य रूप से कक्षाओं में भाग लेने की आवश्यकता होती है, इसलिए याचिकाकर्ता संस्थानों को इग्नू के संस्थान, घटक विश्वविद्यालय, इकाइयाँ या संबद्ध विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता है, और न ही उन्हें इग्नू अधिनियम की खंड 2 (ण) के अर्थ के भीतर "अध्ययन केंद्र" कहा जा सकता है। इग्नू के "अध्ययन केंद्र" के तौर पर अर्हता प्राप्त करने हेतु ऐसे केंद्र को केवल छात्रों को सलाह या परामर्श देने या कोई अन्य सहायता जो उन्हें खुली और दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के माध्यम से शिक्षा लेने के उद्देश्य के लिए आवश्यक हो उन्हें प्रदान करने की आवश्यकता है। कोई भी संस्थान, विश्वविद्यालय या केंद्र जहां मुखाभिमुखी कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है, इग्नू अधिनियम के अर्थ के भीतर "अध्ययन केंद्र" के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं कर सकता है। नतीजतन, चूंकि याचिकाकर्ता संस्थानों को किसी विश्वविद्यालय के संस्थान, घटक कॉलेज, इकाइयां या संबद्ध विश्वविद्यालय नहीं कहा जा सकता है, इसलिए उन्हें ए.आई.सी.टी.ई अधिनियम, 1983 की धारा 2 (ज) में दी गई तकनीकी संस्थानों की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।*

34. वर्तमान मामले में, बेशक, याचिकाकर्तागण ने स्वयं को अधिनियम के अर्थ के अंतर्गत संस्थान/विश्वविद्यालय/केंद्र होने का दावा नहीं किया है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्तागण को ए.आई.सी.टी.ई अधिनियम, 1987

की धारा 2 (ज) में दी गई 'तकनीकी संस्थान' की परिभाषा से बाहर नहीं रखा गया है।

35. जिन डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए एम.ओ.सी में प्रवेश किया गया था, उनमें अन्य बातों के साथ-साथ सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी, नेटवर्क दूरसंचार एम्बेडेड सिस्टम डिजाइन और इसी तरह के क्षेत्रों में विशेषज्ञता के साथ एम.टेक एडवांस टेक्नोलॉजी के नाम से इग्नू का दो साल की अवधि या चार सत्रों के मास्टर स्नातकोत्तर प्रोग्राम शामिल है।

36. ***उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कार्पोरेशन लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि तकनीकी शिक्षा के लिए मापदंडों या गुणात्मक मानदंडों को निर्धारण के लिए ए.आई.सी.टी.ई. एकमात्र शक्ति भंडार है। पाठ्यक्रम के विषयवस्तु का निर्धारण, निर्देशात्मक कार्यप्रणाली, पाठ्यक्रम की अवधि और उन पाठ्यक्रमों को संचालित करने का तरीका, 'तकनीकी शिक्षा' की व्यापक अवधारणा का एक हिस्सा है। उस क्षेत्र में कोई भी विचार या नवाचार भी 'तकनीकी शिक्षा' की अवधारणा का एक हिस्सा है और इसे ए.आई.सी.टी.ई के अनन्य क्षेत्र में निहित किया जाना चाहिए।

37. नतीजतन, ***उड़ीसा लिफ्ट इरिगेशन कॉर्प लिमिटेड (पूर्वोक्त)*** मामले में प्रतिपादित सिद्धांतों को वर्तमान मामले में प्रत्यक्ष रूप से लागू किया जाता है।

38. एम.ओ.सी के अधीन, आई.आई.आई.टी के मौजूदा उन्नत स्नातकोत्तर कार्यक्रमों को इग्नू के स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम (एम.टेक / एमबीए / एमएस) में

शामिल किया जाना था। उन सभी कार्यक्रमों को निर्विवाद रूप से पूर्णकालिक, मुखाभिमुखी स्नातकोत्तर डिग्री प्रोग्राम के रूप में जाना जाता है। उक्त कार्यक्रम अधिनियम के दायरे से बाहर थे और इग्नू को ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने का अधिकार नहीं था। उस संबंध में इग्नू की क्षमताहीनता उस अधिनियम से उपजी है, जैसा **कि हिंदुस्तान विमानन अकादमी (पूर्वोक्त)** मामले में माना गया है।

39. साथ ही, याचिकाकर्ता की क्षमताहीनता ए.आई.सी.टी ई. अधिनियम से उपजी है, जो तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के लिए ए.आई.सी.टी.ई. की मंजूरी को स्पष्ट रूप से निर्धारित करता है। इस प्रकार, याचिकाकर्तागण को कानूनी रूप से ए.आई.सी.टी.ई से अनुमोदन प्राप्त किए बिना, स्वतंत्र रूप से या इग्नू के सहयोग से 'तकनीकी शिक्षा' के क्षेत्र में शिक्षा प्रदान करने का अधिकार नहीं था। याचिकाकर्तागण को इग्नू के अध्ययन केंद्र/विश्वविद्यालय/संस्थान के रूप में भी नहीं माना जा सकता है। कानून के प्रावधानों की व्याख्या को इग्नू के तत्कालीन कुलपति की व्यक्तिगत समझ से प्रभावित नहीं किया जा सकता है, जिन्होंने दिनांक 11.11.2010 के पत्राचार से कहा है कि ऐसे कार्यक्रम ए.आई.सी.टी.ई. के दायरे में नहीं आते हैं, जबकि याचिकाकर्ता स्वयं अपने दिनांक 24.07.2009 के संचार में कहते हैं कि विश्वविद्यालयों को छोड़कर सभी संस्थानों को ए.आई.सी.टी.ई. के अधीन आने वाले कार्यक्रम को शुरू करने

के लिए ए.आई.सी.टी.ई. की अनुमति लेनी होती है। एम.ओ.सी. द्वारा लागू की जाने वाली कार्यप्रणाली मौजूदा कानूनी व्यवस्था को देखते हुए अस्वीकार्य है।

40. इस स्तर पर, इस बात पर जोर देना उचित होगा कि पक्षों के बीच अनुबंध के माध्यम से एक विधायी योजना को बाधित नहीं किया जा सकता है। कोई भी वैध अनुबंध कानूनी नीति के खिलाफ नहीं जा सकता था और यदि ऐसा है, तो पक्षों के बीच सर्वसम्मति के बावजूद इसे लागू नहीं किया जा सकता था।

41. याचिकाकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्क, जो शैक्षिक वर्ष 2010-2011 के लिए छात्रों को डिग्री देने में इग्नू के कार्यों के आधार पर समानता का दावा करता है, असमर्थनीय है। हालांकि, इस पहलू पर, यह देखना पर्याप्त हो सकता है कि यह एक सुव्यवस्थित कानून है कि नकारात्मक समानता का दावा धारणीय नहीं है।

42. ***आर. मुथुकुम बनाम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, टैंगेडको और अन्य*** मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णयों के एक समूह को आधार बनाते हुए और 'नकारात्मक समानता' की अवधारणा पर विचार करते हुए निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

> ***"28. इस देश की संवैधानिक शिक्षा में एक सिद्धांत, स्वयंसिद्ध है कि यहाँ कोई नकारात्मक समानता नहीं है। दूसरे शब्दों में, यदि कानूनी आधार या औचित्य के बिना किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के एक समूह को कोई राहत या लाभ प्रदान किया गया है तो उस लाभ में समानता या अनुरूपता के सिद्धांत के रूप में***

स्वीकार नहीं किया जा सकता है, या उसको आधार नहीं बनाया जा सकता है। 'बसवराज बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी' मामले में, इस न्यायालय ने निर्णय दिया कि:

> *"8. यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि संविधान का अनुच्छेद 14 अन्य मामलों में गलत निर्णयों को जारी कर अवैधता या धोखाधड़ी को बनाए रखने के लिए नहीं है। कथित प्रावधान नकारात्मक समानता की परिकल्पना नहीं करता है लेकिन इसका केवल एक सकारात्मक पहलू है।* ***इस प्रकार, यदि कुछ अन्य समान रूप से ग्रसित व्यक्तियों को अनजाने में या गलती से कुछ राहत / लाभ प्रदान किया गया है, तो ऐसा आदेश दूसरों को भी समान राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है। यदि पहले के मामले में कोई ऐसी गलती की जाती है, तो इसे जारी नहीं रखा जा सकता है।***

29. ***अन्य निर्णयों ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित या लागू किया है (संदर्भ: चंडीगढ़ प्रशासन बनाम जगजीत सिंह, आनंद बटन लिमिटेड बनाम हरियाणा राज्य, के. के. भल्ला बनाम म.प्र राज्य; फुलजीत कौर बनाम पंजाब राज्य, और चमन लाल बनाम पंजाब राज्य)।*** *हाल ही में,* ***उड़ीसा राज्य बनाम अनूप कुमार सेनापति*** *मामले में इस न्यायालय ने यह पाया है :*

> *"यदि किसी एक व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के पक्ष में कोई अवैधता और अनियमितता की गई है या न्यायिक मंच द्वारा गलत आदेश पारित किया गया है, तो अन्य लोग उसी अनियमितता या अवैधता को दोहराने या बढ़ाने या इसी तरह के गलत आदेश पारित करने के लिए उच्च या शीर्ष न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं कर सकते हैं।* ***किसी एक पार्टी के पक्ष में गलत आदेश/निर्णय किसी अन्य पार्टी को गलत निर्णय के आधार पर लाभ का दावा करने का अधिकार नहीं देता है।"***

[जोर दिया गया]

43. इस मोड़ पर एक आकस्मिक प्रश्न जो उठता है और जिस पर विचार करने की आवश्यकता है वह ये है कि क्या याचिकाकर्ता डिग्री प्रदान करने के लिए किसी वैध अपेक्षा का दावा कर सकते हैं। इसके परिणामस्वरूप, यह भी

विचारणीय है कि क्या उक्त सिद्धांत को सार्वजनिक हित के अधीनता के कारण अमान्य किया जा सकता है।

44. वैधानिक अपेक्षा का सिद्धांत हमारे संवैधानिक न्यायशास्त्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें एक सकारात्मक कार्य की अपेक्षा शामिल है और इस तरह की अपेक्षा की वैधता कई कारकों पर आधारित है जैसे कि पिछली प्रथाएं, समान स्थितियों में समान आचरण, गैर-प्रदर्शन के परिणाम, विधायी या वैधानिक योजना (यदि कोई हो) आदि। यह उचित रूप से समझा जाता है कि यह सिद्धांत किसी व्यक्ति पर काल्पनिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए काम नहीं करता है, जो न तो वैधानिक योजना में अपेक्षित हैं और न ही पिछली प्रथाओं में।

45. इसके अतिरिक्त, एक बार जब कोई विषय किसी वैधानिक योजना के दायरे में आ जाता है और ऐसी वैधानिक योजना को कानून में वैध माना जाता है, तो वैध अपेक्षा के सिद्धांत का उल्लेख करके किसी भी विषय को नियंत्रित करने के लिए वैधानिक योजना में बदलाव करने की अनुमति नहीं होगी। एक वैध अपेक्षा का एक ठोस आधार होना चाहिए। इसका उपयोग एक स्पष्ट वैधानिक योजना के उल्लंघन में नहीं किया जा सकता था। ऐसा करना कानून के शासन की अवधारणा का उल्लंघन होगा। ***भारतीय खाद्य निगम बनाम कामधेनु मवेशी चारा उद्योग***, मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करना उचित होगा, जिसमें यह माना गया था कि सार्वजनिक हित

का विचार वैध अपेक्षा से अधिक महत्त्व रख सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय के अनुसार किसी अपेक्षा के वैध या तर्कसंगत होने का निर्णय *"दावेदार की धारणा के अनुसार नहीं, बल्कि व्यापक सार्वजनिक हित में होने चाहिए, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण विचार दावेदार की वैध अपेक्षा से अधिक महत्त्व रख सकते हैं।"*

46. चूंकि तत्काल मामले में इस बात का विश्लेषण किया गया है कि याचिकाकर्ता या इग्नू के पास एम.ओ.सी में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए कानून के विपरीत कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। यहाँ तक कि, 2009 बैच का दायरा भी एम.ओ.सी. के अंतर्गत नहीं आता है।

47. याचिकाकर्तागण की खुद की स्वीकारोक्ति के अनुसार, एम. ओ. सी. में स्पष्ट रूप से पहले से मौजूद 2009 बैच के छात्रों को शामिल नहीं किया गया था। पैराग्राफ नं.3 रिट याचिका में, याचिकाकर्ता अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार कहता हैं:

> "---
>
> *सहयोग ज्ञापन में विशेष रूप से याचिकाकर्ता संख्या 1 के छात्रों के पहले से मौजूद 2009 बैचों को शामिल नहीं किया गया था।"*

48. इसके अतिरिक्त,रिट याचिका के अनुच्छेद सं.4 (i) में, याचिकाकर्तागण ने यह भी कहा हैः

> "*क. जुलाई,* 2010 *में कहीं न कहीं छात्रों के* 2010 *बैच के लिए याचिकाकर्ता संख्या* 1 *और प्रत्यर्थी के बीच उपरोक्त सहयोग के बारे में पता चलने पर,* 2009 *के फरवरी, जुलाई और नवंबर बैच में नामांकित छात्रों ने*

उसी आधार पर प्रत्यर्थी के साथ नामांकन के लिए याचिका संख्या 1 *से संपर्क किया, जिस आधार पर* 2010 *के छात्रों का नामांकन हुआ था।*"

49. एम.ओ.सी. के अधीन गठित उप-समिति और जे.सी.सी. की बैठकों के आधार पर दावा किया गया है। चूंकि एम.ओ.सी. ने जे.सी.सी. या उक्त एम.ओ.सी. के अधीन किसी अन्य समिति को एम.ओ.सी. के दायरे का विस्तार करने के लिए अधिकृत नहीं किया था, इसलिए 2009 के बैच को एम.ओ.सी. के सीमा में नहीं लाया जा सकता है। एम.ओ.सी. ने एम.ओ.सी. के दायरे को बदलने के लिए जे.सी.सी. या उसकी किसी समिति के लिए कोई प्रतिनिधिमंडलीय शक्तियां निर्धारित नहीं की थीं।

50. इसके विपरीत, दिनांक 08.06.2010 की एम.ओ.सी. का खंड 3 (घ) (i), विशेष रूप से एम.ओ.सी. के अधीन आई.आई.आई.टी. द्वारा प्रस्तावित प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए शैक्षणिक सत्र 2010-2012 के लिए शैक्षिक शुल्क के बंटवारे के संबंध में पक्षों के बीच समझौते को रेखांकित करता है। यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एम.ओ.सी. शैक्षणिक सत्र 2010-2012 के लिए तैयार किया गया था और इसके दायरे में 2009 के बैच शामिल नहीं था।

51. इस प्रकार यह देखा गया है कि याचिकाकर्तागण को एम.ओ.सी. में प्रवेश करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और 2009 का बैच एम.ओ.सी. के अंतर्गत नहीं आता है। एम.ओ.सी. ने अधिनियम के साथ-साथ ए.आई.सी.टी.ई.

अधिनियम के अधीन वैधानिक योजना का उल्लंघन किया। इसलिए, तत्काल रिट याचिका में किये गये निवेदन को मान लेने का कोई औचित्य नहीं है।

52. याचिकाकर्तागण के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जिन निर्णयों को आधार बनाया गया है, वे तथ्यों की दृष्टि से स्पष्ट हैं। ***अशोक चंद सिंघवी (पूर्वोक्त)*** मामले में निर्णय एक ऐसे मामले से संबंधित है जहां विश्वविद्यालय ने उक्त उम्मीदवार को स्वीकार करते समय गलती की। वर्तमान मामले में, विश्वविद्यालय यानी इग्नू के पास एम.ओ.सी में प्रवेश करने का कोई अधिकार नहीं था और याचिकाकर्तागण द्वारा भर्ती किए गए छात्र विश्वविद्यालय के विरुद्ध किसी भी राहत का दावा करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष नहीं आये हैं।

53. ***सनातन गौड़ (पूर्वोक्त)*** मामले में एक अन्य निर्णय उस मामले से संबंधित है जिसमें छात्र को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी और बाद में परिणाम रोक दिया गया था।

54. तत्काल मामले में, छात्रों और इग्नू के बीच कोई सीधा पत्राचार नहीं है; बल्कि याचिकाकर्ता जो एक संस्थान का संचालन कर रहे थे, वे एम.ओ.सी के अधीन छात्रों के लिए राहत का दावा कर रहे हैं। याचिकाकर्तागण द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय में वैधानिक प्रावधानों के विपरीत राहत नहीं दी जाती है। इस निष्कर्ष को देखते हुए कि याचिकाकर्तागण के पास एम.ओ.सी. में प्रवेश

करने का कोई अधिकार नहीं था, इसीलिए कोई परिणामी राहत नहीं दी जा सकती है।

55. इस तरह, याचिका योग्यताहीन है और लंबित आवेदनों के साथ खारिज कर दी जाती है।

(पुरुशेंद्र कुमार कौरव)

न्यायाधीश

24 जनवरी, 2024

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्द्मेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*